



## कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

### प्रेस नोट

दिनांक- 14.08.2022

दिनांक-13.08.2022 की रात्रि थाना चितईपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त देवानन्द तिवारी उर्फ

कक्कू पण्डित को 1075 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया ।

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस उपायुक्त जोन-काशी के निर्देशन व सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के निर्देशन में चितईपुर पुलिस द्वारा रोकथाम जूर्म जरायम व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन मे उ0नि0 श्री घनश्याम मिश्रा, उ0नि0 श्री सुनील कुमार, का0 शिवचन्द बिन्द, का0 राजेश कुमार, का0 महबूब आलम, का0 जितेन्द्र कुमार शर्मा, का0 राजीव सिंह , हे0का0 विरेन्द्र सिंह यादव (चालक) के द्वारा मुखबिरी सूचना के आधार मु0अ0सं0 97/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चितईपुर वाराणसी से संबंधित अभियुक्त देवानन्द तिवारी उर्फ कक्कू पण्डित पुत्र स्व0 मोहन तिवारी निवासी बाटा मोड़ चादपुर थाना मडुआडीह वाराणसी उम्र 42 वर्ष को दिनांक-13.08.2022 को मछली मंडी सुन्दरपुर के पास से समय करीब 22.30 बजे गिरफ्तार किया गया । उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना चितईपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

#### पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 0097/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चितईपुर वाराणसी

#### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- देवानन्द तिवारी उर्फ कक्कू पण्डित पुत्र स्व0 मोहन तिवारी निवासी बाटा मोड़ चादपुर थाना मडुआडीह वाराणसी उम्र 42 वर्ष

गिरफ्तारी / बरामदगी का दिनांक, समय व स्थान – दिनांक 13.08.2022 को, मछली मंडी सुन्दरपुर समय करीब 22.30 बजे ।

बरामदगी- 1075 ग्राम गांजा

#### गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0श्री घनश्याम मिश्रा चौकी प्रभारी सुन्दरपुर थाना चितईपुर, कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना चितईपुर कमिश्नरेट वाराणसी
3. का0 शिवचन्द बिन्द थाना चितईपुर , कमिश्नरेट वाराणसी ।
4. का0 राजेश कुमार थाना चितईपुर , कमिश्नरेट वाराणसी ।
5. का0 महबूब आलम थाना चितईपुर , कमिश्नरेट वाराणसी ।
6. का0 राजीव सिंह थाना चितईपुर , कमिश्नरेट वाराणसी ।
7. का0 जितेन्द्र कुमार शर्मा थाना चितईपुर , कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल  
काशी-जोन  
कमिश्नरेट वाराणसी